



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 152]

नई दिल्ली, मंगलवार, जनवरी 19, 2016/पौष 29, 1937

No. 152]

NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 2016/ PAUSA 29, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 जनवरी, 2016

का.आ.174(अ).—राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, यथा-संशोधित के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार ने, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ. संख्या 249 (अ), तारीख 08.02.2012 द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 पर 185.000 कि.मी. से 216.800 कि.मी. तक राजकोट से बामनबोर खण्ड के उपयोग के लिए यांत्रिक वाहनों पर शुल्क उद्ग्रहीत करने और संग्रहीत करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को प्राधिकृत किया था।

और यतः, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 बी पर 185.000 कि.मी. से 216.800 कि.मी. तक राजकोट से बामनबोर तक का खण्ड, राजपत्रित अधिसूचना का.आ. संख्या 1517 (अ), तारीख 10.06.2015 द्वारा गुजरात राज्य सरकार को सौंप दिया गया है।

अतः अब, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008, यथा-संशोधित के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्द्वारा भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 249 (अ), तारीख 08.02.2012 जो भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग-II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी को निरस्त करती है। यह अधिसूचना राज्य लोक निर्माण विभाग, गुजरात सरकार द्वारा टोल संग्रह के प्रारंभ होने की तिथि से प्रभावी होगी।

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/344/सीएमडी-सीओ/10-11/जीसी-राजकोट (राजकोट-बामनबोर)]

लीना नंदन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 18th January, 2016

S.O. 174(E).—In exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended, the Central Government by notification of the Government of India vide S.O. No. 249 (E) dated 08.02.2012 authorized National Highways Authority of India for levying and collecting fee on mechanical vehicles for the use of the stretch from Rajkot to Bamanbore section from km. 185.000 to km. 216.800 on National Highways Number 8B.

And whereas, the stretch from Rajkot to Bamanbore section from km. 185.0000 to km. 216.800 on National Highway Number 8B has been entrusted to State Government of Gujarat vide Gazette Notification S.O. No. 1517 (E) dated 10.06.2015.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with Rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 as amended, the Central Government hereby rescinds the Notification number S.O. 249 (E) dated 08.02.2012 published in the Gazette of India, Extraordinary, part-II, Section 3, Sub-section (ii) of Government of India in Ministry of Road Transport and Highways. This notification shall be effective from the date of commencement of toll collection by State PWD, Government of Gujarat.

[F. No. NHAI/13013/344/CMD-CO/10-11/GC-Rajkot (Rajkot-Bamanbore)]

LEENA NANDAN, Jt. Secy.